प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 310/2004

लुकेश उर्फ लोकेश

बनाम-

छत्तीसगढ़ राज्य

**निर्णय हेतु दिनांक**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21-03-2012 को सूचीबद्ध करें।

सही/—

आर.एस.शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीश

दाण्डिक अपील क्रमांक 310/2004

अपीलार्थी लुकेश उर्फ़ लोकेश, पिता जेठूराम मरार, उम्र लगभग 23 साल, जाति मरार, पेशा मज़दूर, निवासी गाँव नरबदा, थाना गुरुर, ज़िला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य

---

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--उपस्थित:

श्री एन.एस. धुरंधर और श्री प्रवीण के. धुरंधर, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

श्रीमती मधुनिशा सिंह, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए पैनल अधिवक्ता।

---

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के तहत दाण्डिक अपील

-// निर्णय //-

(आज दिनांक-21 मार्च 2012 को घोषित)

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बलोद, जिला दुर्ग द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 161/2003 में दिनांक 18-3-2004 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत है। उक्त निर्णय द्वारा, आरोपी/अपीलार्थी लुकेश उर्फ लोकेश को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 और 376(1) के

तहत दोषी ठहराया गया है। भा0द0सं0 की धारा 376(1) के तहत अपराध के लिए, उसे सात साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने का दंड दिया गया है, जुर्माना न भरने पर दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। भा0द0सं0 की धारा 363 और 366 के तहत प्रत्येक अपराध के लिए, उसे 4 साल के कठोर कारावास और 500 रुपये के जुर्माने का दंड दिया गया है, जुर्माना न भरने पर दो महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा, सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना न भरने की स्थिति में, अपीलार्थी को दी गई सजाएं अलग-अलग चलेंगी।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार है:

31-1-2003 को, लगभग शाम 7 बजे, अभियोक्त्री कुमारी कीर्तनबाई (अ.सा.-3) शौच के लिए गई थी। उसके घर न लौटने पर, उसके पिता माखनलाल (अ.सा.-13)ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। ग्रामीणों को घटना की सूचना दी गई। अपीलार्थी भी उसी दिन शाम लगभग 5 बजे अपने घर से बाहर गया था। गाँव के लड़कों ने बताया कि अपीलार्थी शाम लगभग 5:30 बजे अभीयोक्त्री (अ.सा.-3) के घर गया था। इस पर माखनलाल (अ.सा.-13) ने पुलिस थाना गुरुर में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-8) दर्ज कराई। जांच के दौरान, जब पता चला कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री (अ.सा.-3) सिकंदराबाद (आंध्र प्रदेश) में मौजूद हैं, तो प्रधान आरक्षक शिशुपाल सिंह (अ.सा.-11), गवाह राजलाल और शंकरलाल (अ.सा.-7) के साथ सिकंदराबाद गए और अभियोक्त्री (अ.सा.-3) को अपीलार्थी के साथ एक झोपड़ी में पाया। मौके पर बरामदगी पंचनामा (प्र.पी.-6) तैयार किया गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-3) का बयान दर्ज करने के बाद, उसे और अपीलार्थी को पुलिस थाना गुरुर लाया गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-3) को सुपुर्दनामा पर उसके पिता को सौंप दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आगे की जांच में, घटनास्थल का नक्शा (प्रदर्श पी-9) तैयार किया गया। माखनलाल (अ.सा.-13) द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर, स्कूल प्रमाण पत्र, जिसमें अभियोक्त्री (अ.सा.-3) की जन्मतिथि 2-2-1985 दर्ज थी, (प्रदर्श पी-10) जब्त कर लिया गया। अभियोक्त्री (अ.सा.-3) की सूती पेटीकोट भी जब्त कर ली गई। अभियोक्त्री (अ.सा.-3)को चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। डॉ. श्रीमती शशि क्लॉडियस (अ.सा.-12) ने उसकी जांच की और अपनी प्रतिवेदन (प्र.पी. -21) दिया, जिसमें उसे अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। उसकी हाइमन पुरानी फटी हुई है। योनि में कोई चोट, सूजन, लालिमा या खून नहीं देखा गया। गर्भाशय ग्रीवा सामान्य है। उसे संभोग की आदत है। अपीलार्थी को चिकित्सा जांच के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गुरुर भेजा गया। अपीलार्थी के अंडरवियर को प्र.पी. -7 के अनुसार गवाहों के समक्ष जब्त किया गया। जांच के दौरान, गवाह माखनलाल (अ.सा.-13), प्रेमिनबाई, रामस्वरूप (अ.सा.-2), कमल नारायण (अ.सा.-1), खोरबाहरा (अ.सा.-5), गंगाराम (अ.सा.-6), पन्नालाल और प्यारेलाल के बयान हुए। पटवारी द्वारा एक और घटना स्थल का नक्शा भी तैयार किया गया था। ज़ब्त किए गए अंडरवियर, पेटीकोट, अभियोक्त्री (अ.सा.-3) की वजाइनल स्लाइड और अपील करने वाले के प्राइवेट पार्ट (पेनिस) के बालों को रासायनिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला , रायपुर भेजा गया। वहां से रिपोर्ट (प्र.पी. -18) मिली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जांच पूरी होने के बाद, अपीलार्थी के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालोद के न्यायालय में अभियोगपत्र प्रस्तुत की, जिन्होंने प्रकरण को दुर्ग के सत्र न्यायालय को उपार्दित किया, जहां से यह स्थानांतरण पर बालोद के विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायधीश को मिला, जिन्होंने विचारण किया और अपीलार्थी को ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया और सजा सुनाई।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.एस. धुरंधर ने तर्क दिया कि अभियोक्त्री कीर्तनबाई की उम्र घटना की तारीख को 18 साल से ज़्यादा थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष गलत है। अभियोक्त्री के साक्ष्य हैं। असंगत और विरोधाभासों की वजह से, जो अभियोजन प्रकरण की जड़ और नींव को खत्म कर देता है। अभियोक्त्री ने अपनी मर्ज़ी से अपना घर छोड़ा। अभियोक्त्री के पास भागने के कई मौके थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ऐसा लगता है कि अभियोक्त्री की सहमत पक्षकार है। इसलिए, अपीलार्थी को भा0द0स0 की धारा 376(1) और 366 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। घटना की तारीख पर, अभियोक्त्री की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी और वह अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता का घर छोड़कर गई थी, इसलिए, अपीलार्थी को भा0द0स0 की धारा 363 के तहत भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। विचारण न्यायालय का फ़ैसला गलत है और इसे अपास्त किया जाना चाहिए और अपीलार्थी दोषमुक्त होने

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

का हकदार है। विद्वान अधिवक्ता ने **अतामेलु और अन्य बनाम राज्य पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा प्रतिनिधित्व, (2011) 1 SCC (Cri) 688**. पर भरोसा किया।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता लॉयर श्रीमती मधुनिशा सिंह ने आक्षेपित फ़ैसले का समर्थन करते हुए कहा कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दी गई सज़ा और दोषसिद्धि में इस न्यायालय को कोई दखल देने की ज़रूरत नहीं है।

5. उभय पक्षकारों की अलग-अलग दलीलें सुनने के बाद, मैंने सेशन सत्र प्रकरण क्रमांक 161/2003 के अभिलेख का परिशीलन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. अब, मैं यह देखूंगा कि क्या घटना की तारीख को अभियोक्त्री की उम्र 18 साल से कम थी?

7. कीर्तनबाई (अ.सा.-3) ने बताया कि उसने कक्षा 8 तक पढ़ाई की है और उसकी जन्म तारीख 2-2-1985 है। माखनलाल (अ.सा.-13) ने बताया कि उसकी बेटी (अभियोक्त्री कीर्तनबाई) की जन्म तारीख 2-2-1985 है। उप निरीक्षक राजीव शर्मा (अ.सा.-8) ने बताया कि उसने माध्यमकि शाला परीक्षा, 1999 का प्रमाण पत्र ज़ब्त किया, जिस पर आर्टिकल 'ए' मार्क है और उसने दाखिल खारिज पंजी भी ज़ब्त की, जिसकी प्रति प्र.पी. -20सी है।

8. पुनूराम गुरुपंच (अ.सा.-10) ने बयान दिया कि अभियोक्त्री कीर्तनबाई ने उनके स्कूल में पढ़ाई की थी। आर्टिकल 'ए' एक प्रमाण पत्र है और प्र.पी. -20सी, दाखिल खारिज पंजी की एक प्रति है। आर्टिकल 'ए' और दाखिल खारिज पंजी (प्र.पी. -20 और P-20सी) के अनुसार, अभियोक्त्री की जन्मतिथि 2-2-1985 है।

9. हरपाल सिंह और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, AIR 1981 SC 361 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रविष्टि संबंधित अधिकारी ने अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए की थी, इसलिए यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत स्पष्ट रूप से स्वीकार्य है और अभियोजन के लिए इसके लिखने वाले की जांच करना जरूरी नहीं है। हम सबूतों को जिस भी द्रष्टिकोण से देखें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अभियोक्त्री कीर्तनबाई (अ.सा.-3) ने माध्यमिक शाला नर्बदा में पढ़ाई की, जो एक सरकारी स्कूल है और दाखिल खारिज पंजी उस स्कूल के प्रधानपाठक द्वारा साबित किया गया था और आर्टिकल 'ए' एक प्रमाणपत्र (मार्क-शीट) है, जो भी है साक्ष्य अधिनियम के भाग 34/35 के ग्राह्य साक्ष्य है। आर्टिकल 'ए' और प्र.पी.-20सी को देखने से पता चलता है कि अभियोक्त्री की जन्म तारीख 2-2-1985 है। अभियोजन के अनुसार, घटना की तारीख 31-1-2003 है। उस तारीख

को, अभियोक्त्री की उम्र 17 साल 11 महीने और 2 दिन थी। ऐसा लगता है कि घटना की तारीख को अभियोक्त्री की उम्र 18 साल थी।

11. कीर्तनबाई (अ.सा.-3) ने गवाही दी कि दिनांक 31-1-2003 को, शाम करीब 6:30 बजे, वह शौच के लिए गई थी। उस समय अपीलार्थी वहां आया उसका हाथ पकडा, उसे धमकी दिया और हाथ पकडकर उसे ग्राम कनेई ले गया। उस समय, कुछ गांववालों ने उससे पूछा कि वह उसे कहां ले जा रहा है? उसने जवाब दिया कि वह उसे बरही गांव ले जा रहा है, जहां उसका घर है। इसके बाद, वह उसे धमतरी बस स्टैंड ले गया। वे बस में ही रुके। उसने बस में ही उसके साथ संभोग किया। उसने आगे बताया कि अगली सुबह, लगभग 7 बजे , वह उसे बस से दुर्ग ले गया। जब उसने उससे कहा कि उसके फूफा वहां रहते हैं और उसे उनके पास ले जाया जा सकता है, तो उसने उसके गाल पर मारा। इसके बाद, वह उसे दुर्ग से नागपुर और उसके बाद हैदराबाद ले गया। हैदराबाद में, उसने जानबूझकर भगवान शिव के मंदिर में उसके सिर के ऊपर सिंदूर लगा दिया। उसने आगे बताया कि उसने उसे हैदराबाद में चार दिनों तक रखा और उसके साथ संभोग किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. माखनलाल (अ.सा.-13) ने बताया कि जब वह शाम को घर लौटा, तो उसकी बेटी (अभियोक्त्री कीर्तनबाई) घर नहीं लौटी थी। उसने उसे पास के इलाके में ढूंढा। उसने गांव वालों के साथ मिलकर उसे ढूंढा और जब उसका कोई पता नहीं चला, तो उसने रिपोर्ट दर्ज कराई।

13. राजू (अ.सा.-14) ने बताया कि अभियोक्त्री कीर्तनबाई उसके साले (साला) की बेटी है। माखनलाल (अ.सा.-13) उसके पास आया और बताया कि अभियोक्त्री कीर्तनबाई घर पर नहीं है। उन्होंने उसे पास के इलाके में ढूंढने की कोशिश की। तीन दिन बाद, अपीलार्थी ने डॉ. संतराम को फोन करके बताया कि वे हैदराबाद में हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. राजीव शर्मा (अ.सा.-8) ने बताया कि माखनलाल (अ.सा.-13) ने अपीलार्थी खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसने प्र. पी. 8 के माध्यम से अपराध क्रमांक 31/2003 दर्ज किया। शिशुपाल सिंह (अ.सा.-11) ने गवाही दी कि अभियोक्त्री कीर्तनबाई को अपीलार्थी की सिकंदराबाद स्थित झोपड़ी से बरामद किया गया था। बरामदगी पत्रक (प्र.पी. -6) तैयार किया गया और अभियोक्त्री को उसके पिता को सौंप दिया गया।

15. ऊपर दिए गए सबूतों को देखते हुए, ऐसा लगता है कि अभियोक्त्री कीर्तनबाई अपीलार्थी के साथ थी और उसे अपीलार्थी से सिकंदराबाद स्थित झोपड़ी से बरामद किया गया था।

16. अब, मैं यह देखूंगा कि क्या अपीलार्थी, अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर और धमकाकर ले गया था?

17. कीर्तनबाई (अ0सा0-3) ने गवाही दी कि यह सच है कि अपीलार्थी उससे दिनांक 26-1-2003 को मिला था। उसने जानबूझकर उसे रोका और बात की थी। उसने दिनांक 26-1-2003 की घटना के बारे में अपने परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं बताया था। कनेरी से धमतरी जाने वाली बस में कई यात्री बैठे थे। धमतरी बस में, अपीलार्थी ने उसके साथ संभोग किया। उस समय, बस का ड्राइवर और कंडक्टर बस में मौजूद नहीं थे। उसने आगे बताया कि यह सच है कि वे बस की एक सीट पर बैठे थे। यह भी सच है कि वह बैठी थी और अपीलार्थी सो रहा था। उसने आगे बताया कि अगली सुबह, वे उठे और हाथ-मुंह धोने के बाद, अपीलार्थी ने चाय पी। इसके बाद, वे दुर्ग चले गए। उसने होटल में हुई घटना के बारे में कुछ नहीं बताया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. कीर्तनबाई (अ.सा.-3) ने बताया कि हैदराबाद पहुँचते समय, उसने ट्रेन में कुछ भी नहीं बताया था। यह सच है कि उस समय, जब वह शौच के लिए बाहर गई थी, तो उसने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी (प्र.ड़ी.-2) छोड़ी थी। उसने आगे बताया कि यह सच है कि जगदीश, नंदू, श्रीराम और शिवकुमार भी हैदराबाद में काम कर रहे थे और परदेशीराम भी वहीं रहता था। उसने आगे कहा कि

यह सच है कि अपीलार्थी मज़दूर के तौर पर काम करता था। वह भी मज़दूर के तौर पर काम करने में उसके साथ थी।

19. पत्र (प्र.ड़ी. -2) इस तरह है :-

" मॉ बाबू मे तुहर मन से माफी 'मांगत है। मोर से गलती होगे ये गलती बर मोला माफ कर दुहू ते गलती ल महसूस कर लेबे। ये गलती कर डरी कही के तुमन कही गलत काम मत करहू मोर दुख सादी होते तो कभु के दिन ले तोरपाच झन तीकर मन सुख से सादी करबे। तुमन झगरा लडई मत होहू बाबू। मे तोर से हाथ जोडा था। मे तुहर मन के पाव परथ हो। तुमन कही के ऊदीम मत करहू। मोर खतीर मोर नान-नान भाई-बहिनी हे तीकर मन के जिन्दगी बरबार हो जही। हे अपन आप ल सभल लेवे। बाबू में तोर से हाथ जोडत हो मे तोर पाव परत हो "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. अभियोक्त्री कीर्तनबाई (अ.सा.-3) के सबूत और प्र.ड़ी.-2 को देखने से ऐसा लगता है कि अभियोक्त्री अपनी मर्ज़ी से अपने माता-पिता का घर छोड़कर गई थी। घटना की तारीख पर, अभियोक्त्री की उम्र लगभग 18 साल थी। अभिलेख में मौजूद सबूत बताते हैं कि अभियोक्त्री अपनी मर्ज़ी से अपीलार्थी के साथ चली गई थी। ऐसा लगता है कि अभियोक्त्री ने अपीलार्थी के साथ जाते समय किसी से कोई शिकायत नहीं की। इससे पता चलता है कि वह अपनी मर्ज़ी से अपीलार्थी के साथ गई थी। अभियोजन द्वारा किसी भी धमकी, प्रपीडन या लालच को स्थापित किये बिना, मुझे नहीं लगता कि अभियोक्त्री के प्रकरण पर भरोसा कर इस नतीजे पर पहुँचना

मुमकिन है कि अपीलार्थी अपने खिलाफ विरचित किये गए आरोपों का दोषी है। अभियोक्त्री के पास न केवल भागने के पर्याप्त अवसर थे, बस स्टैंड से ही नहीं, बल्कि उस घर से भी जहां अपीलार्थी ने उसे रखा था।

21. डॉ. श्रीमती शशि क्लैडियस (अ.सा.-12) ने गवाही दी कि अभियोक्त्री कीर्तनबाई (अ.सा.-3) की जांच करने पर, उन्हें उसके शरीर पर कोई चोट नहीं मिली। उसकी हाइमन पुरानी फटी हुई है। योनि में कोई चोट, सूजन, लालिमा या खून नहीं देखा गया। सर्विक्स सामान्य है। उसे संभोग की आदत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. अभियोक्त्री कीर्तनबाई (अ.सा.-3) के आचरण से साफ पता चलता है कि वह सहमति देने वाली पक्षकार थी।

23. ऊपर बताए गए कारणों से, विद्वान विचारण न्यायाधीश द्वारा दी गई दोषसिद्धि और दंडादेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है और अपीलार्थी दोषमुक्त होने का हकदार है।

24. नतीजतन, अपील सफल होती है और स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए दोषसिद्धि और सज़ा के आक्षेपित फैसले को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके

खिलाफ लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। वह जमानत पर है। उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं और प्रतिभूओं को उन्मोदित किया जाता है ।

सही

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By ---------- Preeti Yadav**